न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 3928–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–10–2013 पारित द्वारा आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर के प्रकरण कमांक आर.ई.सी/48/2009–10 एवं आदेश पृष्ठांकन कमांक 379

.....

मैसर्स ग्रेट गेलियन लिमिटेड
सेजवाया जिला धार म0प्र0

..... अपीलार्थी

विरूद्ध

1–आबकारी आयुक्त, ग्वालियर म0प्र0
2–कलेक्टर आबकारी जिला भोपाल
3–उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता
भोपाल म0प्र0

..... प्रत्यर्थीगण

.....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री एच.के.अग्रवाल, पेनल अभिभाषक, प्रत्यर्थीगण शासन

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19/9/17 को पारित)

यह अपील अपीलार्थी द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 62(2)–सी के अंतर्गत आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–10–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता, भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक 03(9)/अक्टूबर 2008, 13(8)/नवम्बर 2008, 23(2)/दिसम्बर 2008, 28(11)/जनवरी 2009, 31(4)/फरवरी 2009 में दिनांक 12–10–2009 को आदेश पारित कर अपीलार्थी इकाई द्वारा म0प्र0विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 16(4) के अन्तर्गत अनुमत्य सीमा से अधिक मार्ग हानि पाये जाने पर नियम 19(2) के अन्तर्गत निर्धारित मार्ग हानि से 398.924 प्रुफ

लीटर अधिक हुई मार्ग हानि पर 600/– प्रति प्रुफ लीटर की दर से कुल 7,18,063/– रुपये शास्ति अधिरोपित की गई । उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता, भोपाल के आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी इकाई द्वारा प्रथम अपील आबकारी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आबकारी आयुक्त द्वारा दिनांक 10–10–2013 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा उसे सुनवाई का अवसर नहीं देकर आदेश पारित करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना की गई है । अधिनस्थ न्यायालय को अपीलार्थी इकाई पर आरोप सिद्ध करने के पूर्व साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देना था । यह भी कहा गया कि अपीलार्थी इकाई द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र का विधिवत जबाव प्रस्तुत किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । निर्धारित मार्ग हानि से अधिक मार्ग हानि अपीलार्थी इकाई की असावधानी के कारण हुई है, यह सिद्ध करने का भार अधिनस्थ न्यायालयों पर था, परन्तु उनके द्वारा अपीलार्थी इकाई की असावधानी को प्रमाणित नहीं किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि निर्धारित मार्गहानि से अधिक मार्ग हानि होने पर शासन को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है अतः उस पर शास्ति लगाये जाने का कोई औचित्य नहीं है । यह भी कहा गया कि संविदाकर अधिनियम की धारा 73 एवं 74 में यह प्रावधान है कि संविदाकर अनुसार यदि किसी व्यक्ति को कोई हानि होती है तो उसकी पूर्ति कराई जा सकती है, जबकि शासन को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी इकाई पर न्यूनतम शास्ति अधिरोपित करना चाहिये थी, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिकतम शास्ति अधिरोपित करने में अवैधानिकता अथवा अनियमितता की गई है । अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाये ।

4/ प्रतिउत्तर में शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि अपीलार्थी ईकाई द्वारा निर्धारित मार्ग हानि से अधिक मार्ग हानि की गई है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शास्ति अधिरोपित करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं गई है । उनके द्वारा आबकारी आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। आबकारी उपायुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी इकाई द्वारा म0प्र0 विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 16(4) में निर्धारित मार्ग हानि से 398.924 प्रुफ लीटर अधिक मार्ग हानि हुई है । आबकारी उपायुक्त द्वारा अपीलार्थी इकाई को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया, परन्तु उनके द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया जा सका है कि निर्धारित मार्गहानि से हुई अधिक मार्ग हानि अपरिहार्य कारणों से कारित हुई है और उसमें अपीलार्थी इकाई की कोई असावधानी नहीं है अतः आबकारी उपायुक्त द्वारा नियम 19(2) के अन्तर्गत हुई मार्ग हानि की तीन गुना शास्ति रुपये 7,18,063/– अधिरोपित करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । आबकारी आयुक्त भी अपीलार्थी इकाई को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है, परन्तु उनके समक्ष भी अपीलार्थी द्वारा यह भी तथ्य प्रमाणित नहीं किया जा सका है कि निर्धारित मार्ग हानि से हुई अधिक मार्गहानि अपीलार्थी इकाई की असावधानी से नहीं हुई है । अतः आबकारी आयुक्त द्वारा भी आबकारी उपायुक्त के आदेश की पुष्टि करने में वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है ।

6/ दर्शित परिस्थितियों के आधार पर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–10–2013 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर